[2021] 10 एस. सी. आर 1178

एम. पी. का राज्य

अन्य

घिसलाल

(2012 की सिविल अपील सं. 2153)

22 नवंबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976: एसएस। 10 (1) , (3) – शहरी समूह में भूमि-अधिशेष की घोषणा

भूमि-दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र-आयोजित: अधिनियम के तहत पीड़ित पक्षों के लिए उपलब्ध नामित अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकरणों के समक्ष अपील, संशोधन के प्रावधानों को देखते हुए, भूमि से संबंधित मुकदमे की सुनवाई करने के लिए दीवानी अदालतों का अधिकार क्षेत्र, जो अधिकतम सीमा की कार्यवाही का विषय है, निहितार्थ से बाहर है-दीवानी अदालत अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अवैध या गैर-कानूनी घोषित नहीं कर सकती है-तथ्यों पर, अधिनियम द्वारा पारित आदेशों पर।

सक्षम अधिकारी, कि मूल घोषणाकर्ता के पास अतिरिक्त भूमि थी और परिणामी अधिसूचनाएँ यू/एस द्वारा जारी की गईं। 10 (1) , (3) अंतिम हो गए हैं, यह प्रतिवादी के लिए घोषणा की मांग करने वाला मुकदमा दायर करने के लिए खुला नहीं था-निचली अदालत ने मुकदमे पर विचार करने में गलती की, जैसा कि दायर किया गया था प्रत्यर्थी और यहां तक कि प्रथम अपीलीय न्यायालय और द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलार्थी द्वारा उठाए गए विभिन्न आधारों पर उचित परिप्रेक्षय में विचार नहीं किया है-इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 विचाराधीन भूमि शहरी क्षेत्र में है

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार, मूल मालिक स्वर्गीय पीएस ने दायर किया था

यू. एल. सी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत और उसके बाद घोषणा आवश्यक जांच करते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा 16000.32 वर्ग मीटर भूमि घोषित करने के लिए अंतिम आदेश पारित किए गए

अतिरिक्त भूमि के रूप में। अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह भी स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेशों के परिणामस्वरूप, यू. एल. सी. अधिनियम की धारा 10 (1) और 10 (3) के तहत अधिसूचनाएं जारी की गईं। यद्यपि, यह प्रत्यर्थी-वादी का मामला है कि कब्जा बिना नोटिस जारी किए लिया गया था, इस प्रकार इसे कब्जे का वैध अधिग्रहण नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह पंचनामे की प्रति से स्पष्ट है, जो प्रत्यर्थी, जो दावा करता है

1178 एम. पी. बनाम का राज्य घिसलाल

स्वर्गीय पीएस का कानूनी उत्तराधिकारी होना, उसी के गवाह के रूप में हस्ताक्षरकर्ता भी है। यद्यपि प्रतिवादी-वादी गवाह था

1.2 शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 एक स्व-निहित संहिता है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, तो नामित अपीलीय के समक्ष अपील, संशोधन का प्रावधान है। और पुनरीक्षण अधिकारी। पीड़ित पक्षों के लिए उपलब्ध ऐसे उपायों को ध्यान में रखते हुए, भूमि से संबंधित मुकदमे की सुनवाई करने के लिए दीवानी अदालतों का अधिकार क्षेत्र, जो अधिकतम सीमा की कार्यवाही का विषय है, निहितार्थ से बाहर है। दीवानी अदालत यू. एल. सी. अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अवैध या गैर-कानूनी घोषित नहीं कर सकती है। इसके अलावा, जब इस तरह के आदेश अंतिम हो जाते हैं, तो कोई घोषणा नहीं होती है

दीवानी अदालत द्वारा मंजूर किया जा सकता था। [पैरा 14] [1185-एफ-एच; 1186-ए]

1.3 सक्षम द्वारा पारित आदेशों से यह स्पष्ट है

अधिकारी, कि मूल घोषणाकर्ता के पास 16000.32 वर्ग मीटर की सीमा तक अतिरिक्त भूमि थी। जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश और जारी की गई परिणामी अधिसूचनाएँ [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यू. एल. सी. अधिनियम की धारा 10 (1) और 10 (3) के तहत अंतिम हो गए हैं, यह प्रतिवादी के लिए मुकदमा दायर करने के लिए खुला नहीं था

घोषणा, जैसा कि प्रार्थना की गई थी। चूंकि दीवानी अदालतों का अधिकार क्षेत्र आवश्यक निहितार्थ से वर्जित है, इसलिए निचली अदालत में गलती हुई वाद पर विचार करना, जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया गया है और यहां तक कि पहली अपीलीय अदालत और दूसरी अपीलीय अदालत ने भी नहीं किया है

अपीलार्थी द्वारा उठाए गए विभिन्न आधारों पर विचार किया गया

दृष्टिकोण। [पैरा 15] [1186-बी-डी]

1.4 सिविल सूट में निर्णय और डिक्री जिसकी पुष्टि की गई है

प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय को अलग कर दिया गया है। नतीजतन, प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 17] [1186-एफ-जी]

शहरी भूमि के तहत सक्षम प्राधिकरण, कलकत्ता (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 और एक अन्य v. डेविड

मंटोश और अन्य (2020) 12 एससीसी 542: [2019] 4 एससीआर

331 - पर भरोसा किया।

असम राज्य बनाम। भास्कर ज्योति सरमा और अन्य (2015) 5 एससीसी 321: [2014] 14 एस. सी. आर. 1451; इंदौर विकास

प्राधिकरण v. मनोहरलाल और अन्य (2020) 8 एससीसी 129

: [2020] 3 एस. सी. आर. 1; विद्या देवी बनाम हिमाचल राज्य

प्रदेश और अन्य (2020) 2 एस. सी. सी. 569; मंगलसेन बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा (2014) 15 एस. सी. सी. 332;

गैव दिनशॉ ईरानी और अन्य बनाम। तहमतान ईरानी और

अन्य (2014) 8 एस. सी. सी. 295: [2014] 5 एस. सी. आर. 646; राज्य

उत्तर प्रदेश बनाम. हरि राम (2013) 4 एस. सी. सी. 280: [2013]

2 एस. सी. आर. 301-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 14 एससीआर 1451

संदर्भित किया गया है

[2020] 3 एससीआर 1

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

(2020) 2 एस. सी. सी. 569

पैरा 10

संदर्भित किया गया है

(2014) 15 एस. सी. सी. 332

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[2014] 5 एससीआर 646

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[2013] 2 एससीआर 301

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[2019] 4 एससीआर 331

पर भरोसा किया।

एम. पी. का पैरा 16 राज्य बनाम घिसलाल

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 2153

2012 से।

जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2006 की दूसरी अपील संख्या 129 के निर्णय और आदेश से।

सौरभ मिश्रा, ए. ए. जी., आकाश नडोलिया, सनी चौधरी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. यह दीवानी अपील अपीलार्थी-मध्य प्रदेश राज्य द्वारा की जाती है, जो दिनांक 08.11.2006 पारित निर्णय और आदेश से व्यथित है।

2006 की दूसरी अपील No.129 में। उपरोक्त आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें अपीलार्थी ने विद्वत चतुर्थ अतिरिक्त द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की है।

जिला न्यायाधीश, भोपाल, सिविल अपील No.37-A/2005 दिनांक 23.07.2005 और सिविल सूट No.138-A/2004 में बारहवीं सिविल न्यायाधीश, कक्षा-II, भोपाल द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 24.12.2004 में।

2. संक्षेप में, आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं:

3. कृषि भूमि धारक सर्वेक्षण सं। 171 गाँव बाग सेवानिया, तहसील में स्थित 184,214,217 और 284 एकड़ में फैला हुआ

4. इसमें अपीलार्थी का मामला है कि यू. एल. सी. अधिनियम के तहत विचार की गई आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद, अधिशेष भूमि ले ली गई। इसके बाद, राजस्व प्रविष्टियों को ठीक किया गया [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अधिशेष भूमि की सीमा तक राज्य को स्वामी के रूप में दिखाना। अपीलार्थी का यह भी मामला है कि चूंकि शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 (सुविधा के लिए, जिसे इसके बाद 'निरसन अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के लागू होने से पहले ही कब्जा ले लिया गया था, इसलिए उक्त भूमि को गरीबों को आवास बनाने के उद्देश्य से आवंटित किया गया था।

5. इसमें प्रत्यर्थी ने स्वयं को स्वर्गीय पदम सिंह का एकमात्र उत्तराधिकारी और दत्तक पुत्र होने का दावा करते हुए 09.09.2003 पर घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया था। सूट में राहत इस प्रकार है:

" 1) कि 16000.32 वर्ग मीटर की अधिशेष भूमि जिसे अधिशेष घोषित किया गया है, शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत छूट दी जाए क्योंकि कब्जा नहीं लिया गया है। 2) कि प्रतिवादी को
प्रतिवादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जाए।

6. ट्रायल कोर्ट अर्थात, बारहवीं सिविल जज, क्लास-II, भोपाल द्वारा

24.12.2004 दिनांकित निर्णय और डिक्री ने इस आधार पर मुकदमे का फैसला सुनाया कि निरसन अधिनियम के लागू होने से पहले कब्जा नहीं लिया गया है। विचारण न्यायालय ने इसमें अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए परिणामी राहत भी प्रदान की। इसके विपरीत

विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री, मामले को अपीलार्थी द्वारा चतुर्थ अतिरिक्त जिले के समक्ष पहली अपील के माध्यम से चलाया गया था।

न्यायाधीश, भोपाल और अपीलीय न्यायालय ने 23.07.2005 दिनांकित निर्णय और डिक्री द्वारा अपील को खारिज कर दिया है। इसके विपरीत, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील के माध्यम से मामले को उठाया है। दूसरी अपील को भी विवादित निर्णय और दिनांकित 08.11.2006 डिक्री द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

7. इस अपील में उपरोक्त विवादित फैसले पर मुख्य रूप से इस आधार पर सवाल उठाया गया है कि यू. एल. सी. अधिनियम की धारा 10 के तहत आवश्यक अधिसूचनाएं जारी किए जाने के बाद, अपीलार्थी ने कब्जा कर लिया है और बड़ी राशि खर्च करके गरीबों के लिए घरों के निर्माण के लिए विषय भूमि का उपयोग किया है। यह अपीलार्थी का मामला है कि प्रत्यर्थी ने भूमि को अधिशेष भूमि घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों पर सवाल नहीं उठाया है, यह प्रत्यर्थी-वादी द्वारा घोषणा की मांग करने के लिए खुला नहीं है जैसा कि अनुरोध किया गया है। अपील के आधार पर एक विशिष्ट आधार उठाया गया था कि कब्जा लेने के बाद, भूमि को स्टेट ऑफ एमपी के नाम पर दर्ज किया गया था।

घिसीलाल [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

स्लम निवासियों के लाभ के लिए प्राधिकरण और उक्त प्राधिकरण ने पहले ही लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च करके भूमि पर 100 (सौ) घरों का निर्माण कर लिया है। जब तक इस न्यायालय में अपील दायर की गई, तब तक 1.5 करोड़ रु. अपीलार्थी का यह भी मामला है कि वाद में मांगी गई राहत एक विलंबित प्रयास है, हालांकि ऐसा वाद कानून में बनाए रखने योग्य नहीं है। 8. हमने अपीलार्थी-राज्य की

ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सौरभ मिश्रा और प्रतिवादी की ओर से विद्वान वकील श्रीमती प्रगति नीखरा को विस्तार से सुना है।

9. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि

हालाँकि जैसा कि तैयार किया गया मुकदमा बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं है, नीचे दिए गए न्यायालयों ने न केवल मुकदमे पर विचार किया है, बल्कि यू. एल. सी. अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए विभिन्न आदेशों और अधिसूचनाओं के विपरीत डिक्री भी दी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब कब्जा पहले ही ले लिया गया था और सरकार के नाम पर भूमि दर्ज की गई थी, तो निचली अदालत ने प्रतिवादी के मुकदमे का गलत फैसला सुनाया है और इस आधार पर अपील पर पुष्टि की है कि कब्जा नहीं लिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में, न केवल विषय भूमि का कब्जा लिया जाता है और सरकार के नाम पर दर्ज किया जाता है, बल्कि यह भोपाल को भी आवंटित किया जाता है।

गरीबों के लिए घरों के निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण और घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त राशि खर्च की जाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी स्थिति में, जिस घोषणा के लिए प्रार्थना की गई है, वह बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं है।

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत प्राधिकरण, कलकत्ता और एक अन्य v. डेविड मंटोश और अन्य 3. 10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की विद्वान वकील श्रीमती प्रगति नीखरा ने अपीलार्थी के मामले का जोरदार विरोध किया है और

प्रस्तुत किया कि जब मूल घोषणाकर्ता की कब्जा लेने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो मूल घोषणाकर्ता के एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी को कोई नया नोटिस जारी किए बिना, अपीलकर्ता अधिकारियों के लिए कब्जा करने के लिए यह खुला नहीं था

1 (2015) 5 एस. सी. सी. 321

2 (2020) 8 एस. सी. सी 129

3 (2020) 12 एससीसी 542 [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यू. एल. सी. अधिनियम के तहत पारित आदेशों के परिणामस्वरूप। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी स्थिति में, यदि अनुरोध के अनुसार दायर किया गया मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है, तो यह न्यायालय

उचित निर्देश जारी करके राहत को ढाला जा सकता है। विद्वान वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में विद्या देवी बनाम के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य, मंगलसेन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, गैव दिनशॉ ईरानी और अन्य बनाम। तेहमतान ईरानी और अन्य और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। हरि राम '।

11. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमने विवादित निर्णय और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री का अध्ययन किया है। 12. जैसा कि शिकायत की प्रति से स्पष्ट है, जिसे अभिलेख पर रखा गया है, प्रत्यर्थी ने घोषणा और स्थायी के लिए मुकदमा दायर किया

निषेधाज्ञा। सूट में प्रार्थना इस प्रकार है:

" (ए) वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ इस प्रभाव से एक डिक्री पारित की जाए कि अधिशेष का 16000.32 वर्ग मीटर

वादी के स्वामित्व की विवादित भूमि से घोषित भूमि, जिसका विवरण पैरा 1 में दिया गया है, शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1976 के प्रावधानों से मुक्त है क्योंकि जिसका कब्जा सरकार को अब तक प्राप्त नहीं हुआ था।

जिस तारीख से निरसन अधिनियम प्रभावी हुआ।

(ख) वादी के पक्ष में एक स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाए।

और प्रतिवादी के खिलाफ जिससे प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि

वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करें।

मालिक स्वर्गीय पदम सिंह ने यू. एल. सी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत घोषणा दायर की है और आवश्यक जांच करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिशेष भूमि के रूप में 16000.32 वर्ग मीटर भूमि घोषित करने के अंतिम आदेश पारित किए गए। अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह भी स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेशों के परिणामस्वरूप, अधिसूचनाएँ यू. एल. सी. अधिनियम की धारा 10 (1) और 10 (3) के तहत जारी किए गए थे। यद्यपि, यह प्रत्यर्थी-वादी का मामला है कि कब्जा बिना नोटिस जारी किए लिया गया था, इस प्रकार इसे वैध अधिग्रहण के रूप में नहीं माना जा सकता है

4 (2020) 2 एस. सी. सी. 569

5 (2014) 15 एस. सी. सी. 332

6 (2014) 8 एससीसी-294

7 (2013) 4 एस. सी. सी. 280 स्टेट ऑफ एम. पी. बनाम

घिसीलाल [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

अधिकार, लेकिन यह पंचनामे की प्रति से स्पष्ट है,

प्रतिवादी, जो स्वर्गीय पदम सिंह का कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा करता है, भी उसी के गवाह के रूप में हस्ताक्षरकर्ता है। यद्यपि प्रत्यर्थी-वादी कब्जा लेने के लिए पंचनामे का गवाह था, लेकिन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों पर सवाल उठाए बिना प्रत्यर्थी द्वारा वर्तमान मुकदमा दायर करने का देर से प्रयास किया गया, जिसमें विचाराधीन भूमि को अधिशेष भूमि घोषित किया गया। पंचनामा आयोजित करके कब्जा लेने के बावजूद, जिसके लिए प्रतिवादी एक हस्ताक्षरकर्ता है, निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने यह निष्कर्ष दर्ज करने में गलती की कि कब्जा नहीं लिया गया था। इंदौर विकास प्राधिकरण 2 के मामले में अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णय में, इस न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए कहा है कि जब भूमि का कब्जा पंचनामा खींचकर लिया जाता है, तो यह भूमि का भौतिक कब्जा लेने के बराबर है। यह भी माना जाता है कि इसके बाद अधिकार का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमणकारी माना जाना चाहिए और उसे उस भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है जो राज्य के पास सभी बाधाओं से मुक्त है। पंचनामा आयोजित करके भूमि का कब्जा लेने के अपीलार्थी के रुख को देखते हुए, जिसके लिए प्रत्यर्थी एक हस्ताक्षरकर्ता है, प्रत्यर्थी के रुख पर विश्वास करना मुश्किल है कि कब्जा नहीं लिया गया था। प्रत्यर्थी के इस रुख को ध्यान में रखते हुए कि अधिकार प्रत्यर्थी के पास है, इस न्यायालय ने जिला न्यायाधीश से एक रिपोर्ट माँगी। उसी के अनुसार, 14.04.2021 दिनांकित रिपोर्ट विद्वान प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा इस न्यायालय को भेजी गई थी। इस तरह की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने भूमि पर कब्जा कर लिया है और इसे भोपाल विकास प्राधिकरण को आवंटित किया गया था और इसका उपयोग बड़ी राशि खर्च करके जरूरतमंद झुग्गीवासियों के लिए लगभग 400 घरों के निर्माण के लिए किया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भूमि का कब्जा न केवल लिया गया था, बल्कि इसका उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाता है।

14. शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 एक स्व-निहित संहिता है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई

पीड़ित पक्षों के लिए उपलब्ध ऐसे उपचारों का दृष्टिकोण, भूमि से संबंधित वाद का विचारण करने के लिए दीवानी न्यायालय जो अधिकतम सीमा की कार्यवाही का विषय है, निहितार्थ द्वारा बहिष्कृत है। दीवानी अदालत यू. एल. सी. अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अवैध या गैर-कानूनी घोषित नहीं कर सकती है। इसके अलावा, जब इस तरह के आदेश अंतिम हो गए हैं, तो दीवानी अदालत द्वारा कोई घोषणा नहीं की जा सकती थी। इस संबंध में संदर्भ [2021] 10 एस. सी. आर.

सक्षम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर किया जाए प्राधिकरण, कलकत्ता, शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत। हम इस न्यायालय द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

15. इस मामले में, सक्षम अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों से यह स्पष्ट है कि मूल घोषणाकर्ता के पास अतिरिक्त भूमि थी

16000.32 वर्ग मीटर का विस्तार। जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश और यू. एल. सी. अधिनियम की धारा 10 (1) और 10 (3) के तहत जारी परिणामी अधिसूचनाएं अंतिम हो गई हैं, तो प्रत्यर्थी के लिए घोषणा की मांग करने वाला मुकदमा दायर करना खुला नहीं था, जैसा कि अनुरोध किया गया था। जैसे हम।

यह विचार है कि दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता आवश्यक निहितार्थ से वर्जित है, निचली अदालत मुकदमे पर विचार करने में त्रुटि में पड़ गई, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया है और यहां तक कि पहली अपीलीय अदालत और दूसरी अपीलीय अदालत ने भी अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए विभिन्न आधारों पर विचार नहीं किया है।

दृष्टिकोण।

16. यद्यपि प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा राहत को ढालने के लिए यह तर्क दिया जाता है, लेकिन यह एक तुच्छ सिद्धांत है कि जहां मुकदमा विशेष अभिवचनों और राहतों के साथ दायर किया जाता है, वहां इस पर रिकॉर्ड में दलीलों और मुकदमे में दावा की गई राहतों के संदर्भ में ही विचार किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया, वे प्रत्यर्थी के मामले का समर्थन करने के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे। जैसा कि हम शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और अधिकतम सीमा) के तहत सक्षम प्राधिकारी, कलकत्ता के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं।

विनियमन) अधिनियम, 1976 3 इस अपील को निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को इस आधार पर दरकिनार करके अनुमति दी जानी चाहिए कि ऐसा मुकदमा स्वयं विचारणीय नहीं था।

17. उपरोक्त कारणों से, सिविल अपील की अनुमति है। सिविल सूट No.138 में विवादित निर्णय और डिक्री दिनांकित 24.12.2004

बारहवीं सिविल न्यायाधीश, वर्ग-II, भोपाल द्वारा पारित ए/2004, जैसा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सिविल अपील No.37-ए/2005 में दिनांकित 23.07.2005 के निर्णय और डिक्री द्वारा पुष्टि की गई है और उच्च न्यायालय द्वारा एस. ए. 2006 में दिनांकित 08.11.2006 के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। नतीजतन, प्रत्यर्थी द्वारा बारहवें सिविल न्यायाधीश, वर्ग-द्वितीय, भोपाल के समक्ष दायर किया गया मुकदमा खारिज हो जाता है, जिसमें कोई आदेश नहीं होता है

-

लागतें।

अपील

की अनुमति दी गई।

निधि जैन